16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1676–दो/2006 विरूद्ध आदेश, दिनाक 18–8–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 45/05–06 निगरानी.

1 भगवान सिंह पुत्र देवलाल
2 बलवीर सिंह पुत्र देवलाल
3 तिलक सिंह पुत्र गंभीर सिंह
निवासीगण ग्राम अकोडा तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 विद्यासागर पुत्र केदारनाथ
निवासी श्रिंगीरामपुर जिला फरूखाबाद
उ0 प्र0
2 शिवप्रताप सिंह पुत्र गंभीर सिंह
3 द्रोपदी विधवा पत्नी गंभीर सिंह
4 फतेसिंह पुत्र ओछकनसिंह
निवासीगण ग्राम अकोडा, तहसील भिण्ड जिला भिण्ड

–अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4-7-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 45/2005–06/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18–8–2006 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम अकोड़ा तहसील व जिला भिण्ड स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 3154 रकबा 0.836 हैक्टेयर एवं 3177 रकबा 0.941 हैक्टेयर पर माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–7–63 के अनुपालन में भूमिस्वामी बनाये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 190–110 के अंतर्गत निगरानीकर्तागण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 02/89–90/अ–46 पर पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 21–5–90 से निगरानीकर्तागण को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया । तहसीलदार भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–90 से परिवेदित होकर प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी । कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 122/2000–01 निगरानी माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 18–8–2005 से निगरानी स्वीकार करते हुये तहसीलदार भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–90 निरस्त किया गया । कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2005 से दुखी होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण कमांक 45/05–06 निगरानी पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 18–8–2006 से निरस्त की गयी है । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का समग्र रूप से परिशीलन किया गया ।

4/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादित भूमि प्रति निगरानीकर्ता –1 के पिता को माफीदार के रूप में पूर्व में प्रविष्टि किया गया था ।

संहिता लागू होने के दिनांक 2–10–59 को निगरानीकर्ता के पिता की स्थिति माफीदार कृषक की थी जो संहिता की धारा 158 (1) (बी) के प्रभाव में भूमिस्वामी हो गये हैं । कलेक्टर जिला भिण्ड एवं अपर आयुक्त द्वारा विधि के स्पष्ट प्रावधान को देखे बिना निष्कर्ष निकाले हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक के द्वारा किया गया यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि कलेक्टर जिला भिण्ड एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा अभिलेख के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले गये हैं । अभिलेखों में विवादित भूमि माफी ओकाफ की दर्ज है और ऐसी माफी औकाफ की भूमियों को किसी तरह से अंतरण नहीं किया जा सकता है और न ही उक्त भूमि पर किसी को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो सकते हैं । 1988 रे0नि0 201 सूरजमल तथा अन्य विरूद्ध म0 प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 185 तथा 190–मंदिर द्वारा धारित भूमि–पुजारी को मौरूषी काश्तकार एवं भूमिस्वामी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते–कुछ खसरों में पुजारी का नाम भूमिस्वामी के रूप में अभिलिखित–इसका कोई सबूत नहीं कि उसका नाम किस प्रकार अभिलिखित किया गया–पुजारी द्वारा ऐसी भूमि अंतरित नहीं की जा सकती–उसे कोई हक नहीं । इसी प्रकार वकायद माफीदारान जुज्वे आराजी व नगदी, संवत 1991 (ग्वालियर राज्य) धारा 20–माफी भूमि–रजिस्टर देवस्थान ग्वालियर राज्य में मंदिर की माफी भूमि के रूप में अभिलिखित–पुजारी को मौरूषी काश्तकार एवं भूमिस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते–पुजारी द्वारा ऐसी भूमि अंतरित नहीं की जा सकती । 1992 रे0नि0 194 कंचनिया (मुस0) तथा अन्य विरूद्ध शिवराम तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी संबंध में न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । जो इस प्रकरण में पूर्णतः चस्पा होते हैं ।

5/ जहां तक माननीय व्यवहार न्यायाधीश भिण्ड के प्रकरण कमांक 59/63 इ0दी0 में राजीनामा के आधार पर किये गये आदेश का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण में विवादित भूमि माफी औकाफ की है । इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया न राजीनामा में ऐसा कोई उल्लेख है । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि

निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित भूमि की नोइयत को छुपाया गया है और विचारण न्यायालय तहसीलदार भिण्ड से अपने हक में आदेश पारित कराया गया । निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि विवादित भूमि कभी भी किसी मंदिर के नाम पर प्रविष्टि नहीं रही । यह कहना निगरानीकर्तागण के अभिभाषक का अभिलेख के विपरीत होकर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में अतीए सरकार के रूप में दर्ज है और अतीए सरकार के रूप में दर्ज भूमि शासन की भूमि कहलाती है । शासकीय भूमि के संबंध में कलेक्टर जिला भिण्ड एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विधिसम्मत हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2005 एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–8–2006 तथ्यों के आधार पर निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष है और ऐसे समवर्ती निष्कर्षों को इस निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जाता है तथा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर